निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 49 / 2024
दायरा दिनांकः–25.09.2024
निर्णय दिनांकः– 28.7.25

उनवान

1. रामेश्वर आयु 53 वर्ष पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 28.7.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री रामनिवास वैष्णाव – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के शामलाती काश्तेदार एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 50 की खसरा नं. 139 की रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नं. 141 की रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नं. 187 की रकबा 0.3162 हैक्टेयर, खसरा नं. 192 की रकबा 1.3152 हैक्टेयर, खसरा नं. 193 की रकबा 0.9991 हैक्टेयर, खसरा नं. 60 की रकबा 0.5817 हैक्टेयर, खसरा नं. 89 की रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नं. 90 की रकबा 0.6070 हैक्टेयर कुल किता 8 की रकबा 3.9076 हैक्टेयर भूमि वाके माल मोतीपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/5 स्थित है, जो दर्ज जमाबन्दी चला आ रहा है, जिसकी वर्तमान जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में अपने हिस्से पर गत् कई वर्षों से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारियो की सहवन से वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि की जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियों के सहवन से प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी का वास्तविक नाम रामेश्वर है, जबकि घर में बोलता नाम श्री बाबू होने के कारण प्रार्थी का नाम रामेश्वर की जगह श्री बाबू दर्ज हो गया है जिसे दुरूस्त कराकर रामेश्वर किये जाना आवश्यक है, प्रार्थी का नाम रामेश्वर दर्ज है। प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

राजस्व रिकॉर्ड में रामेश्वर की जगह श्री बाबू दर्ज होने के कारण प्रार्थी को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से मिलने वाली फसल मुआवजा राशि व सहायता राशि से वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में बैंक से ऋण लेकर ट्यूबवैल लगाकर, तार फैंसिंग कर, भूमि समतल कराकर, प्रगतिशील काश्त करना चाहता है, जो प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का सही नाम श्री बाबू के स्थान पर रामेश्वर दुरूस्तीकरण किये बिना संभव नहीं है। प्रार्थी को दिनांक 11.09.2024 को किसार क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए हल्का पटवारी के पास अपने खाते की नकल लेने गया तो उसे हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी को उसके नाम की त्रुटि की जानकारी दी। प्रार्थी एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है, जिसके जीविकापार्जनका साधन एक मात्र कृषि भूमि है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मोतीपुरा तहसील छबडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 50 फोटो, प्रति आधार कार्ड, बैंक पास बुक, परिवार राशन कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मोतीपुरा तहसील छबडा में स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/5 हिस्सा दर्ज है प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहवन से बाबू दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का वास्तवित नाम रामेश्वर है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता से वंछित होना पड रहा है प्रार्थी का नाम अन्य दस्तोवजात में रामेश्वर है तथा राजस्व रिकार्ड में बाबू दर्ज है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में बाबू के स्थान पर रामेश्वर दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट में तहसीलदार छबडा ने कि ग्राम मोतीपुरा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 के खाता संख्या 50 के खसरा नम्बर 139 रकबा 0.0379 है खसरा नम्बर 141 रकबा 0.0379 है खसरा नम्बर 187 रकबा 0.3162 है0 खसरा नम्बर 192 रकबा 1.3152 है0 खसरा नम्बर 193 रकबा 0.9991 है0 खसरा नम्बर 60 रकबा 0.5817 है0 खसरा नम्बर 89 रकबा 0.0126 है0 खसरा नम्बर 90 रकबा 0.6070 है0 कुल किता 8 रकबा 3.9076 है0 भूमि में प्रार्थी का नाम बाबू पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहम्ण हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी है जो बाबू के पिता बंशीलाल का फोती नामान्तरण संख्या 93 दिनांक 1.02.1983 से प्रार्थी का नाम बाबू पप्पु पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहम्ण दर्ज है। जबकि सम्वत् 2048–51 में खाता संख्या 63 सम्वत् 2052–55 खाता संख्या 65 सम्वत् 2056–59 खाता संख्या 68 सम्वत् 2060–63 खाता संख्या 52 खसरा नम्बर 60,89,90,141,187,192,139,193 कुल किता 8 रकबा 15.09 बीघा में प्रार्थी के नाम बाबू पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहम्ण दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी है जो आज दिनांक तब सही चला आ रहा है। प्रार्थी के विविध दस्तावेजो आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, में रामेश्वर पुत्र बंशीलाल दर्ज है मुताबिक दस्तावेत प्रार्थी अपना नाम रामेश्वर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पुत्र बंशीलाल दर्ज करवाना चाहता है उक्त प्रार्थी की मौके जाकर जानकारी लेने पर बताया कि बापूत्र पप्पू, बाबू, पुत्र बंशीलाल व रामेश्वर पुत्र बंशीलाल सब एक ही व्यक्ति हे नाम है मौके पर उपस्थित सहखातेदार व अन्य मौजूद मौत विरानों को मौका पर्चा पढ़कर सुनाया गया। उक्त खाते पर प्रार्थी का नाम बाबू पुत्र बंशीलाल के स्थान पर रामेश्वर पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहम्ण हिस्सा 1/6 दर्ज किया जाना उचित होगा।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मोतीपुरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 50 में प्रार्थी का नाम बाबू पुत्र बंशीलाल हिस्सा 1/5 जाति ब्राहम्ण सा0देह दर्ज है आधार कार्ड, बैक पास बुक, परिवार राशन कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम रामेश्वर दर्ज है तहसीलदार छबडा ने भी रिपोर्ट में पप्पू, बाबू, बापू, पुत्र बंशीलाल एवं रामेश्वर पुत्र बंशीलाल एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया है इससे यह तथ्य सामने आतें है कि प्रार्थी का सही नाम रामेश्वर है तथा राजस्व रिकार्ड में गलत नाम फोती नामान्तरण दर्ज करतें समय बाबू दर्ज हो गया जिसे दुरूस्त कराना चाहतें है। तहसीलदार छबडा ने प्रार्थी का नाम बाबू के स्थान पर रामेश्वर दर्ज करने की अनुशंषा की है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम मोतीपुरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 139 रकबा 0.0379 है0 खसरा नम्बर 141 रकबा 0.0379 है0 खसरा नम्बर 187 रकबा 0.3162 है0 खसरा नम्बर 192 रकबा 1.3152 है0 खसरा नम्बर 193 रकबा 0.9991 है0 खसरा नम्बर 60 रकबा 0.5817 है0 खसरा नम्बर 89 रकबा 0.0126 है खसरा नम्बर 90 रकबा 0.6070 है0 में प्रार्थी का नाम बाबू के स्थान पर बाबू उर्फ रामेश्वर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा